शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 अक्टूबर 2014

ब्लाग में नारी विमर्श

निशा सिंह (शोधार्थी)
जामिया मिलिया इस्लामिया
जामिया नगर, नई दिल्ली, भारत

शोध संक्षेप

इन्टरनेट ने मनुष्य के सामने संभावनाओं के अनेक द्वार खोल दिए हैं। पहले जहां अभिव्यक्ति के लिए बहुत सीमित माध्यम हुआ करते थे, वहीं आज कंप्यूटर ने वैचारिक स्वतंत्रता को वैश्विक धरातल पर स्थापित कर दिया है। सूचना क्रांति ने अनेक प्रकार के भेदभावों को दूर कर दिया है। इन्टरनेट पर व्यक्ति अपने सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति पाकर अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहा है। इनमें भी महिलाओं का बढ़चढ कर हिस्सा लेना मुख्य है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्टरनेट पर लिखे जाने वाले ब्लाग्स में नारी विमर्श की पड़ताल की गयी है।

प्रस्तावना

आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। जिसे आधुनिक ही नहीं बल्कि उत्तरआधुनिक समय कहा जा रहा है। लेकिन लगता है समय के अनुसार हमारी परम्परागत रुढ़िवादी, पुरातनपंथी पितृसत्तात्मक मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है। भारत में स्त्रियों की दयनीय दशा प्राचीन काल से ही रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में स्त्री को दोयम दर्जे का माना गया तब से ही भारतीय समाज पितृसत्तात्मक होता चला गया। पितृसत्ता में नारी को हर तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया। कमला भसीन पितृसत्ता के संदर्भ में लिखती हैं कि "पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था को इंगित करता है जिसमें नारी को हर प्रकार से पुरूष के अधीन रखा जाता है, और उसके व्यक्तित्व के विकास के अवरोधन को धार्मिक और नैतिक जामा पहना दिया जाता है। धर्म तथा नैतिकता के नाम पर बचपन से ही ऐसे संस्कार दिये जाते हैं कि वह अपनी सुरक्षा, व अपने निर्णय लेने के लिए पुरूषों पर ताउम्र निर्भर रहे। इसी व्यवस्था की वजह से परिवार, कार्यस्थल, समाज, राज्य यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नारी को विभिन्न प्रकार की हिंसाओं और भेदभाव को भुगतना पड़ता है। हर प्रकार की सीमाओं और वर्जनाओं के वातावरण में पली-बढ़ी हुई स्त्री व्यवस्था द्वारा संरक्षित नारी शोषण तथा दमन के विरूद्ध आवाज उठाने का आत्म-विश्वास जुटा नहीं पाती।"

स्त्री विमर्श या स्त्री आंदोलन या महिला सशक्तिकरण आदि नामों से नारी-मुक्ति आंदोलन आजादी के बाद मुखर रूप में सामने आए। उन्नीसवीं शताब्दी में पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, स्वामी अछूतानंद, पेरियार और बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर आदि ने स्त्री-शिक्षा और स्त्री अधिकारों के साथ स्त्री स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। स्त्री मुक्ति आंदोलन का तीसरा चरण आरंभ हेाता है 1990 के दशक के समय से। यह मंदिर (बाबरी मस्जिद का ढहाना और राम मंदिर बनाने की

साम्प्रदायिक कोशिश), मंडल कमीशन (अब तक हाशिए पर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था) और मार्केट (वैश्वीकरण, पूँजीकरण, बाजारीकरण, उदारीकरण) आदि का दौर था। इस समय स्त्री-शोषण और गुलामी के जहाँ तौर-तरीके बदल गये वहीं इनके विरुद्ध आवाज उठाने के नए माध्यम भी पैदा हो रहे थे। भूमंडलीकरण के बाद दृश्य-माध्यमों का उभार इंटरनेट-मोबाइल-ब्लागिंग - सर्फिंग, ट्विटर का प्रभुत्व बिम्बों और शब्दों के महाप्रलय का सा दृश्य सामने ला रहे हैं। टेलीफोन आपरेटर, कंप्यूटर आपरेटर, गृहणी, शिक्षिका, एयर होस्टेस, वेट्रेस, होटेल मैनेजर, ब्यूटीशियन, जिम ट्रेनर आदि विभिन्न भूमिका निभाने वाली स्त्रियों पर न केवल इन क्षेत्रों की और अन्य क्षेत्रों की महिलाएँ बल्कि पुरुष भी इनकी समस्याओं, शोषणों, दैनिक जीवन, स्वतंत्रता, स्वावलंबन, अधिकारों पर लिखने-बोलने लगे हैं।

21वीं सदी के वर्तमान दौर में स्त्री विमर्श या आंदोलन अपने मुखर रूप में पहचान बना चुका है। इसमें न्यू मीडिया के रूप में विकसित हिंदी ब्लागिंग भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्लाग पर न केवल महिलाएँ ही बल्कि पुरुष भी 'महिला सशक्तिकरण' के समर्थन में लिख-पढ़ रहे हैं। आज भले ही स्त्री विमर्श बहुत आगे बढ़ चुका हो लेकिन एक आम स्त्री को अपने विचार कहने-लिखने की पूर्ण आजादी नहीं है। अगर वह डायरी या संस्मरण आदि के रूप में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करे तो भी उसे कोई प्रकाशक छापने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके पास न कोई रुतबा होता है और न कोई प्रभावशाली सिफारिश या पद। ऐसे हिंदी ब्लागिंग ने उस महिला को भी अपनी अभिव्यक्ति का जरिया उपलब्ध करा दिया, जिसके माध्यम से वह अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकती है। लोगों की टिप्पणी भी वह स्वयं पढ़ सकती है वह भी मन आये तब। ब्लागर आकांक्षा यादव लिखती हैं कि "यथार्थ के धरातल पर आज भी नारी-जीवन संघर्ष की दास्तान है। नारी बहुत कुछ कहना चाहती है पर मर्यादाएँ उसे रोकती है।...पर न्यू मीडिया के रूप में उभरी ब्लागिंग ने नारी-मन की आकांक्षाओं को मानो मुक्ताकाश दे दिया हो। वर्ष 2003 में यूनीकोड हिंदी में आया और तदनुसार तमाम महिलाओं ने हिंदी ब्लागिंग में सहजता महसूस करते हुए उसे अपनाना आरंभ किया। आज 50,000 से भी ज्यादा हिंदी ब्लाग हैं और इनमें लगभग एक चौथाई ब्लाग महिलाओं द्वारा संचालित हैं। ये महिलाएँ अपने अंदाज में न सिर्फ ब्लागों पर साहित्य-सृजन कर रही हैं बल्कि तमाम राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से लेकर घरेलू समस्याओं, नारियो की प्रताड़ना से लेकर अपनी अलग पहचान बनाती नारियों को समेटते विमर्श, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से लेकर पुरुष समाज की नारी के प्रति दृष्टि, जैसे तमाम विषय ब्लागों पर चर्चा का विषय बनते हैं।"

स्त्री ब्लागर कन्या भ्रूण हत्या, बेटा-बेटी में अन्तर, स्त्री शिक्षा, दहेज, बलात्कार, स्त्री के लिए ड्रेस कोड, किसी भी तरह से महिला शोषण और उसके लिए उत्तरदायी कारण, स्त्री-पुरुष के बीच बढ़ता लिंगानुपात, विधवा स्त्री और अविवाहित स्त्री की दशा आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अनेक दृष्टिकोण से लिख-पढ़ रही हैं। आज स्त्री ब्लागरों में न केवल अकादमिक क्षेत्र से जुड़े रहने वाली महिलाएँ हैं, बल्कि प्रशासक, डाक्टर, इंजीनियर, पर्यावरणविद्, समाजसेवी, कलाकार, संस्कृतिकर्मी, आम गृहणी, रेडियो जाकी से लेकर सरकारी व कारपोरेट जगत तक की महिलाएँ शामिल हैं। जो

अपने-अपने क्षेत्र व आसपास के अनुभवों, दुःख-दर्द, पीड़ा, खुशी, समस्याओं, भावनाओं को लोगों तक पहुँचा रही हैं। ये महिला ब्लागर न केवल साहित्यिक गतिविधियों यानि कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा-वृतांत आदि पर ही कलम चला रही हैं बल्कि अपने समय के समाज में घटने वाली सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, भ्रष्टाचार, मंहगाई, पर्यावरण, धार्मिक कर्मकाण्ड, अन्धविश्वास, खान-पान, विज्ञान आदि पर भी पुरजोर और पूरी समझदारी के साथ लिख रही है। सिमोन द बोवुआ ने अपनी पुस्तक 'सेकेण्ड सेक्स' में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों, शोषणों व अन्यायों पर गहन विश्लेषण करते हुए लिखा है कि "पुरुष ने स्वयं को विशुद्ध चित्त (स्वयं में सत्) के रूप में परिभाषित किया है और स्त्रियों की स्थिति का अवमूल्यन करते हुए उन्हें 'अन्य' के रूप में परिभाषित किया है व इस प्रकार स्त्रियों को 'वस्तु' रूप में निरूपित किया गया है।" आज तक भी भारतीय समाज में स्त्री को एक वस्तु रूप में ही माना जाता रहा है। पितृसत्तात्मक विचारधारा के जंजाल में न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी इस तरह उलझी हुई है कि वह स्वयं स्त्री होकर स्त्री का शोषण करती रही है। ऐसे में हिंदी ब्लाग स्त्री विमर्श, स्त्री मुक्ति, स्त्री आंदोलन और महिला सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभर रहा है।

हिंदी ब्लागिंग

हिंदी ब्लागिंग की शुरूआत 2 मार्च 2003 में 'नौ दो ग्यारह' ब्लाग से हुई थी। महिलाओं में हिंदी ब्लागिंग की शुरूआत 2003 में ही इन्दौर की रहने वाली पूजा के ब्लॉग 'कही अनकही' से हो गयी थी। स्त्री समस्याओं, प्रश्नों, चुनौतियों को लेकर हिंदी का पहला सामुदायिक ब्लाग 'चोखेर बाली' है, जिसे 4 फरवरी 2008 को सुजाता तेवतिया और रचना ने आरंभ किया था। इस ब्लाग की एक और बड़ी खासियत यह है कि इस पर स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से लिख सकते हैं। नारीवादी लेखन की प्रखरता देख लोग इस ब्लाग से कुछ ही समय में जुड़ते गये। 'धूल तब तक स्तुत्य है जब तक पैरों तले दबी है, उड़ने लगे, आंधी बन जाए.तो आँख की किरकिरी है, चोखेर बाली है।' इस ब्लाग की ये शीर्षक पंक्तियाँ हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह ब्लाग स्त्री की समस्याओं - पीड़ाओं, अनुभवों को कितनी बेबाकी और यथार्थ ढंग से प्रस्तुत करता होगा।

हिंदी ब्लागिंग का पहला कम्युनिटी ब्लाग है 'नारी', जिस पर केवल महिला ब्लागर ही ब्लाग पोस्ट करती है। इसका आरंभ 5 अप्रैल 2008 को रचना ने किया था। 'नारी' ब्लाग की शुरूआत करने का उद्देश्य रचना जी के शब्दों में यू हैं कि "'नारी' ब्लाग को ब्लाग जगत की नारियों ने इसलिए शुरू किया ताकि वे नारियाँ जो सक्षम हैं नेट पर लिखने में वह अपने शब्दों के रास्ते उन बातों पर भी लिखे जो समय-समय पर उन्हें तकलीफ देती रही हैं। यहाँ कोई रेवोलुशन या आंदोलन नहीं हो रहा है..यहाँ बात हो रही है उन नारियों की जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है किसी न किसी तरह। कभी लड़ कर, कभी लिख कर, कभी शादी करके, कभी तलाक लेकर। किसी का भी रास्ता आसान नहीं रहा है। उस रास्ते पर मिले अनुभवों को बाँटने की कोशिश है 'नारी' और उस रास्ते पर हुई समस्याओं के नए समाधान खोजने की कोशिश है 'नारी'। अपनी स्वतंत्रता को जीने की कोशिश, अपनी सम्पूर्णता

में डूबने की कोशिश और अपनी सार्थकता को समझने की कोशिश।"

अतः इस घोषणा से स्पष्ट समझ सकते हैं कि इस ब्लाग के निर्माण का उद्देश्य ही नारी सशक्तिकरण या नारी विमर्श या नारी स्वतंत्रता की आवाज को बुलन्द करना है। इस ब्लाग के माध्यम से स्वतंत्र महिला की जिन्दगी, महिला सशक्तिकरण के रास्ते, स्त्री शिक्षा आदि विभिन्न विषयों को लक्ष्य बनाया है। 'एकल जीवन: समाज के लिए कितना सार्थक' लेख के माध्यम से ब्लागर रेखा श्रीवास्तव ने अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की स्वाभिमान, सुरक्षित और पहचान की जिन्दगी पर प्रकाश डाला है। लेख में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कराए सर्वेक्षण को आधार बनाते हुए कहा गया है कि गृहस्थ महिलाओं की बजाए एकाकीपन की जिन्दगी जीने वाली महिलाओं ने हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ कामयाबी हासिल की है। रेखा श्रीवास्तव कहती हैं कि "इस एकाकी जीवन जीने वाली महिलाओं में अधिकतर अपने जीवन से संतुष्ट मिली। अविवाहित चाहे जिस कारण से रही हो, किन्तु समझौते का जीवन जीने से बेहतर खुद अपना जीवन जीना है।

'नारी सशक्तिकरण' का अर्थ समझाते हुए ब्लागर रचना लिखती है कि "नारी सशक्तिकरण या वूमन एम्पावरमेंट का बहुत सीधा अर्थ है कि नारी और पुरुष इस दुनिया में बराबर है और ये बराबरी उन्हें प्रकृति से मिली है।.वह अस्वीकार करती है कि पुरुष उसका 'मालिक' है। .सशक्तिकरण का अर्थ है कि जो हमारा मूलभूत अधिकार है यानि सामाजिक व्यवस्था में बराबरी की हिस्सेदारी वह हमें मिलना चाहिए। कोई भी नारी जो 'नारी सशक्तिकरण' को मानती है वह पुरुष से सामाजिक बराबरी का अभियान चला रही है। अभियान की हम और आप (यानि पुरुष) दुनिया में 50 प्रतिशत भागीदार है सो लिंग भेद के आधार पर कामों, अधिकारों, नियमों आदि का बँटवारा ना करे।" नारी सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब एक स्त्री को उसके सभी अधिकार मिल जाए। वे पुरुष की विरोधी नहीं है बल्कि पुरुष सत्ता की विरोधी है। वे उस रूढिवादी नियम की विरोधी है जो कहता है 'ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी'।

अतः नारी विमर्शकारों का कहना है कि नारी सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के लिए आवश्यक है बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि दोनों सही तरह से एक-दूसरे के पूरक तभी बन पाएँगे। दोनों के बीच तभी एक स्वस्थ और संतुलन संबंध स्थापित हो पाएगा।

हर धर्म, जाति, वर्ग में कमाधिक रूप में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रहती है। दलित या आदिवासी औरत तो दोहरा-तिहरा शोषण का समाना करती है। इसका कारण है जातिवाद। जातिवाद के कारण तथाकथित निम्न जाति की औरतें जहाँ एक तरफ जाति दंश की पीड़ा सहती है तो दूसरी तरफ पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा किया जाने वाला शोषण और तीसरे तथाकथित उच्चजाति के लोगों की बपौति माना जाना। इसलिए ब्लागर अनुजा का मानना है कि अगर नारी सशक्तिकरण वास्तव में लाना है तो समस्त समाज की स्त्रियों को सभी आपसी मतभेद समाप्त कर एक मंच पर आना होगा। वे अपने लेख 'क्यों न स्त्री-शिक्षा को हम मिशन बना लें' में कहती हैं कि "सुधार और सुख की ब्यार हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग की औरत के मध्य एक समान बहे। सबसे पहले तो हमें औरत के बीच

से जाति, धर्म और वर्ग की संकीर्णताओं को समाप्त करना होगा। ये सब औरत को न केवल कमजोर बल्कि यथास्थितिवादी भी बनाती हैं। हमें इस धारणा को जड़ से खत्म करना होगा कि धर्म, जाति और वर्ग के हित औरत के हित से पहले हैं। इन संकीर्णताओं के बीच औरत अपने हितों को दरकिनार कर देती है। ..ये संकीर्णताएँ तभी मिट सकती हैं, जब हम प्रत्येक नारी को शिक्षित करने-बनाने का संकल्प लेंगे।"

वास्तव में देखा जाए तो आज भी स्त्रियों का शिक्षा प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम है। हमारी पुरातन धार्मिक-सामाजिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अन्य अधिकारों की तरह शिक्षा के अधिकार से भी स्त्रियों को वंचित रखा था। आज भी जो शिक्षा दी जा रही है उसमें भी अधिकतर धार्मिक आडम्बरों, पुरातनपंथी विचारधारा ही हावी है। उस शिक्षा में धार्मिक अन्धविश्वास, पूर्वजन्म, जातिवाद, सम्प्रदायवाद और असमानता की बू आती है। सो आज उनको ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा करे, अपने अधिकारों के प्रति चेतना जाग्रति हो। अनुजा हिंदू समाज में व्याप्त धार्मि रुग्णताओं के समान ही मुस्लिम समाज में व्याप्त धार्मिक रुग्णताओं की ओर संकेत करते हुए लिखती हैं कि "औरतों के प्रति जो धार्मिक रुग्णताएँ हमारे यहाँ हैं, वही उनके यहाँ भी है।...औरत को शिक्षित हो-बनकर इन (कु) व्यवस्थाओं को तोड़ना और खारिज करना होगा। औरत को सिर्फ दीनी शिक्षा की नहीं, वैज्ञानिक और वैचारिक शिक्षा की जरूरत है। सदियाँ गुजर गई औरत को दीन-दुनिया की गुलामी को सकते-सहते, अब इस 21वीं सदी में इस सबको खारिज करने की जरूरत है।"

अतः कहना चाहिए कि नारी स्वतंत्रता या नारी सशक्तिकरण के लिए वैज्ञानिक और वैचारिक शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार इस ब्लाग ने लिंग आधारित भेदभाव, दहेज, घरेलू हिंसा आदि के विरोध स्वरूप गंभीर बहस को पैदा किया है। 'नारी' ब्लाग की लोकप्रियता और नारी विमर्श में योगदान को लेकर ब्लागर आकांक्षा यादव लिखती हैं कि "'नारी' ब्लाग ने जहाँ नारी सशक्तिकरण के तमाम आयामो को प्रस्तुत किया, वहीं कई गंभीर बहसों को भी जन्म दिया। इस पर लगभग 1040 से ज्यादा पोस्ट प्रकाशित हो चुकी हैं, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।..वर्तमान में इससे 22 से ज्यादा महिला ब्लागर्स जुड़ी हुई हैं।"

नारी विमर्श को ब्लागिंग के माध्यम से पहचान देने में 'घुघूती बासूती' ब्लाग का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस ब्लाग ने स्त्री जीवन की समस्याओं, पीड़ाओं, भेदभावों को प्रखर रूप से उठाया है। आफिस, हास्पिटल, कालेज, स्कूल आदि में ड्रेस कोड की समस्या, बेटी को पराया धन मानना, बलात्कार, हत्या, स्त्रियों को लिखने-पढ़ने की पाबंदी, स्त्री के छोटे कपड़े पहनने से पुरुष समाज को होने वाली आपत्ति, स्त्री उत्पीड़न, कर्मचारी दम्पत्ति में महिला कर्मचारी को गृहणी के अतिरिक्त जिम्मेवारी की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या, आनर किलिंग, गाली देने के पीछे की भावना, कमजोर, बेबस और पराधीन बनाने के लिए दिए जाने वाले घृणित संस्कार आदि विभिन्न समस्याओं व मुद्दों पर घुघूती बासूती ने बेबाकी के साथ कलम चलायी है और उस पर आने वाली टिप्पणियों के भी सटीक जबाब दिये हैं। ब्लाग को पढ़ते वक्त लगता है कि सही

मायने में स्त्री विमर्श-विचार क्या है और कैसे हो रहा है।

किसी ने कहा है कि 'स्त्री होती नहीं बना दी जाती है।' क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि लड़कियों को कम बोलना चाहिए, कम हँसना चाहिए, तेज नहीं भागना चाहिए, बाद में खाना खाना चाहिए। जब वह जवान होती है तो उसे पराया धन, मेहमान, पराई अमानत कहकर उसको जताते हैं कि जिस घर में तुम पैदा हुई हो वह तुम्हारा घर नहीं है। जब शादी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के सौभाग्यवती भवः टाइप के आशीर्वाद दिये जाते हैं। 'बेटियों की विदाई, लिजलिजी भावुकता' लेख में घुघूती बासूती लिखती हैं कि "'साडा चिड़िया दा चम्बा वे बाबुल असाँ उड़ जागा', 'बाबुल की दुआएँ लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले' आदि गीत स्त्री का भला नहीं करते अपितु बचपन से ही ऐसे गीत व विभिन्न आशीर्वाद जैसे 'सोभाग्यवती भवः', 'पुत्रवती भवः, विभिन्न मुहावरे, लोकोक्तियाँ जैसे 'अबला तेरी यही कहानी आँचल में दूध आँख में पानी' आदि स्त्री को अपने को या तो कुछ 'कममानव' या त्याग की मूर्ति टाइप कुछ 'अधिक मानव' मानने को प्रेरित करते हैं।" विदाई के समय रोना एक तरफ बेटी के प्रति माता-पिता के उत्तरदायित्व के समाप्ति की घोषणा कर देना है तो दूसरी तरफ बेटी अपने आपको और अधिक पराश्रिता समझने लगती है। ये सब स्त्री के ससुराल में शोषण के कारण भी बनते हैं। बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता कि लड़कों की तरह मत भागो, ज्याद मत खेलो, कोई लड़का देखे तो नीची नजर करके आ जाओ, रात को बाहर मत जाओ, हमेशा मारपीट, लड़ाई-झगड़े, हाथपाई से दूर रखना आदि उनको कमजोर बनाने की एक नींव है। जिसके कारण उनका पूरा शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता। कोई दुबला सा कमजोर आदमी देखकर अकेली लड़की डर जाती है बजाय उसका मुकाबला करने के। ऐसी ही एक घटना घुघूती बासुसी लिखती है कि एक चलती हुई ट्रेन में एक हाथ वाले भिखारी ने लेडीज कम्पार्टमेंट में अकेली बैठी 23 वर्षीय सेल्सवुमेन सौम्या के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। विरोध करने पर भिखारी ने सौम्या को गाड़ी से फेंक दिया व स्वयं भी कूद गया। उसके बाद उसे जंगल में घसीट ले गया जहाँ उसके साथ पहले बलात्कार किया फिर जान से मारने की कोशिश की। पाँच दिन के बाद सौम्या ने अस्तपताल में दम तोड़ दिया। घटना से अनुमान किया जा सकता है कि एक हाथ का भिखारी दोनों हाथों वाली सौम्या से कितना ताकतवर होगा। लेकिन बचपन से कोमल, नाजुक, सुन्दर, सिर झुकाकर चलने की आदत ने सौम्या को भी अन्य लड़कियों की तरह कमजोर बना दिया। घुघूती बासूती लिखती है कि "समय आ गया है कि हमारी बेटियाँ शक्तिशाली बने, उनका भरपूर शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास हो। जैसे हर सवा पाँच फुटा छः फुटे से, हर साठ किलो का सत्तर किलो वाले से डरा सहमा नहीं रहता क्योंकि उसे डरना नहीं सिखाया जाता। ... वैसे ही स्त्री को भी शक्तिशाली बनाकर व उसे कानून का सहारा देकर निर्भय बनाना होगा। उन्हें भी वैसे ही पौष्टिक भोजन कराया जाए जैसा बेटों को कराया जाता है। गोरी सुन्दर रोल माडल देकर गोरा व सुन्दर बनना ही जीवन का उद्देश्य न बनाकर साहसी व शक्तिशाली रोल माडल प्रस्तुत कर साहसी व शक्तिशाली बनना भी उनका ध्येय हो पाए तो बेहतर हो।"

घुघूती बासूती उन कट्टर धार्मिक पुरोधाओं पर भी लानत भेजती है जो धर्म या ईश्वर के नाम पर स्त्री को पूरे वस्त्रों में ढका रहने का फतवा या आदेश देते हैं। उनका मानना है कि ये फतवा या आदेश केवल महिलाओं के लिए ही क्यों होते हैं ? जबकि सभी धर्म, सम्प्रदायों की स्थापना व सभी धार्मिक पुस्तकों की रचना पुरुष समाज को ध्यान में रखकर की है। क्या ईश्वर या भगवान या अल्लाह को केवल महिलाओं के कम कपड़े पहने रहने में ही शर्म या लज्जा महसूस होती है? वे लिखती हैं कि "जो भगवान को मानते हैं वह उसकी शक्ति में विश्वास करते हैं वे यह भी समझ सकते हैं कि यदि वह वही है जैसा वे मानते हैं तो उसमें इतनी शक्ति तो हाती ही जिसे वह कपड़ों में ममी की तरह लपेटना चाहता उसे अधिक नहीं तो कम से कम फर से तो ढक ही देता। यह वह कुत्ते, बिल्ली, शेर, चूहे, आदि के लिए कर सकता था तो मानवी के लिए क्यों नहीं ? वैसे तो भाई मेरे, यह समस्या ईश्वर की नहीं है। यह समस्या आपकी आँखों की है।"

पुरुष समाज स्त्रियों को केवल सुन्दर देखना चाहता है। वह कभी बिन्दी तो कभी सिन्दुर तो कभी चूड़ी पहनने की इच्छा को जबरदस्ती थोपता है। यह इच्छा भी तब तक सही जब तक उस इच्छा में सामने वाली महिला की इच्छा शामिल है। अन्यथा इसके विपरीत स्थिति में यह केवल जबरदस्ती है और घुघूती बासूती इसी तरफ संकेत करती है। उनका कहना है कि क्यों नहीं पुरुष महिला के श्रृंगार रूप के अलावा उसकी पीड़ा, समस्या की ओर ध्यान देता है। वे लिखती हैं कि "हमारा परिधान व श्रृंगार ही मत देखो, हमारी आत्मा पर पड़े छाले भी देखो। हमारे शरीर व आत्मा पर सदियों से पहनी बेड़ियों के घाव भी देखो। हमारी भ्रूण हत्या देखो, पचासों लड़कियों में कोई-न-कोई दोष देख ठुकराने वाले वर लड़कियों की भावनाएँ भी समझो। उसके परिवार से दहेज व बारात की खातिरदारी की मांग बन्द करे। जरा जीवित स्त्रियों के जलते हुए शरीर की कल्पना करो।.... उस भीषण कष्ट की कल्पना करो जिसे हमारे देश की हजारों युवतियाँ अपने शोषण व अत्याचार से छोटा व क्षणिक कष्ट समझकर गले लगाती है।"

स्त्री विमर्शकार पुरजोर तरीकों से विरोध करती है। पूरे वस्त्र पहनने के पीछे तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि इससे महिला उत्पीड़न में कमी आयेगी। कम वस्त्र पहने स्त्री को देखकर पुरुष उत्तेजित होते हैं और वे बलात्कार करने को विवश हो जाते हैं। कैसे-कैसे दकियानूसी और घृणित विचार होते हैं इन सभ्यता -संस्कृति के पुजारियों के। अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर अखबारों आदि में ये खबर क्यों छपती है कि आज उस जगह दुधमुँही बच्ची के साथ बलात्कार, आज दो साल या पाँच साल की बच्ची के साथ उसके चाचा या चचेरे भाई ने बलात्कार किया। क्या यह भी कम वस्त्र पहनने के कारण ही हुआ। नहीं। यह केवल और केवल स्त्रियों को एक वस्तु के रूप में, अपने अधीन रखने वाली मानसिकता है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित होती आ रही है। इसे रोकना होगा। नहीं तो यह हमारी खुबसूरत दुनिया एक दिन केवल और केवल बदसूरती के अलावा कुछ नहीं रहेगी। बलात्कार का दोषी स्वयं स्त्री को मानना बंद करो और उसके पीछे निहित कारणों की तलाश करो। यहाँ तो चोरी की चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत चरितार्थ होती दिखाई दती है। घुघूती बासूती इस संदर्भ में लिखती हैं

कि "यदि कोई चोर चोरी करने का कारण अपनी चोरी की आदत, डाकू डाका डालने का कारण अपनी डाका डालने की आदत, अपहरणकर्ता अपहरण का कारण अपनी आपराधिक मानसिकता को न देकर लोगों की सुन्दर कारों, उनके अपार धन को दे तो आप दोष किसे देंगे ? संसार की कौन सी अदालत उन्हें अपने अपराध से बरी कर देगी ? समाज किसे दोषी कहेगा ? अपराधी या अपराध का न्यौता देती कारों व धन को ? जब किसी की जेब कटी तो आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि भाई जेब क्यों लिए घूम रहा था ? या जेब में पैसे रखे ही क्यों थे ? फिर बलात्कार व स्त्री के यौन उत्पीड़न में उसे ही दोषी करार देने की यह प्रवृत्ति कब और कैसे विकसित हुई ?" क्या कोई स्त्री किसी पुरुष के कम कपड़े देखकर या टी-शर्ट के अन्दर दिखती बनियान को देखकर उनके साथ जबरदस्ती करती है। नहीं ना। फिर क्यों नहीं अपनी पितृसत्तात्मक सोच वाली घृणित मानसिकता को दोषी ठहराया जाता है। क्यों महिलाओं के छोटे कपड़ों या कम कपड़ों को बलात्कार के कारण माने जाते हैं ? हमारे समाज में स्त्री-पुरुषों के बीच भेदभाव या स्त्री को पुरुष से कमतर आँकने या मानने की व्यवस्था प्रारंभ से ही रही है। कभी भी बच्चे अपने मां के नाम से नहीं जाने जाते। शादी के बाद स्त्री की पहचान अपने पति के कुल, गोत्र, पद से जानी जाने लगती है। जब कि बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने से लेकर पैदा होने पर लालन-पालन, पढ़ाई-लिखाई आदि सभी जिम्मेदारी तो मां ही निभाती है। और बच्चे जाने जाते हैं पिता के नाम, कुल, गोत्र के आधार पर। घुघूती बासूती लिखती हैं कि "क्या मानव स्त्री का बच्चे अपने मन मुताबिक बड़े करने के अधिकार से वंचित रह जाने के पीछे मानव सभ्यता का हाथ है ? बहुत कम प्राणी बच्चे अपने पिता के बच्चे कहलाते हैं। वे सदा ही अपनी मां के बच्चे के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य में बच्चे मां के नहीं कहलाते, न ही वे मां की जीवनशैली, भाषा, धर्म, जाति या नाम से जाने जाते हैं। वे अपने पिता के बच्चे होते हैं। मां भले ही बच्चे की मां, जैसे 'रामू की मां' के नाम से जानी जाए। ... आज कानून शायद बदला हो परन्तु भारत में बच्चे का स्वाभाविक संरक्षक पिता ही माना जाता है। इस स्थिति के लिए हमारी सभ्यता जिम्मेदार है।

ब्लाग न्यू मीडिया का एक माध्यम है जहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती जा रही है परन्तु जब हम प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया की बात करें तो पाऐंगे कि आज भी वहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आज मीडिया भले ही लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाए और अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम, परन्तु स्त्री शोषण यहाँ भी उसी प्रकार होता है जैसे अन्य क्षेत्रों में। मीडिया के क्षेत्र में शुरू में स्त्रियों की संख्या अच्छी खासी रहती है लेकिन 2-4 सालों में अधिकतर इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चली जाती हैं या फिर घर बैठ जाती हैं। इसके पीछे महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार, जातिवाद आदि प्रमुख कारण होते हैं। ब्लागर नीलिमा सुखिजा अरोड़ा बताती है कि 20 सितम्बर 2012 को टोटल टीवी की रिपोर्टर प्रिया सिंह ने अपने दो सीनियर एक एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, दूसरा आउटपुट एडिटर के शोषण से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार जी न्यूज के लिए काम करने वाली शोभना की हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर जबरदस्ती

के निशान थे और शव अर्द्धनग्न हालत में पाया गया था। इन हत्याओं पर नीलिमा लिखती हैं कि "ये दोनों ही मौतें मीडिया की अपने घर की गंदगी की तरफ इशारा करती हैं। जहाँ सब कुछ सफेद नहीं है बस वो दूर से दिखता सफेद है। इलेक्ट्रानिक मीडिया की चमकदमक लड़कियों को यहाँ तक ले तो आती है पर हाथ आता है शोषण। मीडिया में आने वाली सैंकड़ों प्रियाएँ और शोभनाएँ अपनी बास और सहकर्मियों की दुर्भावना का शिकार होती हैं। कुछ हालत से समझौता कर लेती हैं तो कुछ वापस अपने घरों को लौट जाती हैं। अगर कोई ज्यादा ही साहसी है तो उसे शोभना की तरह मौत की नींद सुला दिया जाता है।...ये पुरुषवादी मीडिया की ही देन है कि हर साल कितनी ही लड़कियाँ जाब छोड़ती हैं।" जबकि महिलाएँ अपने काम को पूरी चुनौतियों के साथ स्वीकार करती हैं और बड़े साहस के साथ उस कार्य को पूरा भी करती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हिंदी ब्लागिंग स्त्री आंदोलन या विमर्श को कितने जोरदार ढंग से आगे बढ़ा रहा है।

विभिन्न मुद्दों, विषयों पर ब्लागर और टिप्पणीकारों या पाठकों के मध्य निरन्तर बहस होती रहती है जो नये विचार पैदा करने में सहायक भी है। आज विभिन्न महिला ब्लागर स्वयं के ब्लाग के अतिरिक्त सामुदायिक ब्लागों पर निरन्तर अपनी अभिव्यक्ति को साँझा कर रही है। ब्लागर सुजाता इस संदर्भ में लिखती हैं कि "स्त्री के लिए ब्लागिंग के मायने कुछ इसलिए भी अलग हो जाते हैं कि ऐसा अकेला माध्यम है जो एक आम स्त्री को आत्माभिव्यक्ति के अवसर देता है बिना किन्हीं भौतिक दिक्कतों के और ऐसे समाज में जहाँ उसके लिए खुद को अभिव्यक्त करने के अवसर और तरीके बहुत सीमित हो। ऐसे में ब्लाग पर स्त्रियाँ विविध विषयों पर लेखन कर रही हैं।...विमर्श कर रही हैं।...संसार रच रही हैं। संसार को समझ रही हैं। बोल रही हैं।" आकांक्षा यादव लिखती हैं कि "हिंदी ब्लागिंग द्वारा नारी सशक्तिकरण को नए आयाम मिले हैं।...वस्तुतः ब्लाग का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ कोई सेंसर नहीं है, ऐसे में जो चीज अपील करे उस पर स्वतंत्रता से विचार प्रकट किया जा सकता है। इस क्षेत्र में महिलाओं का भविष्य उज्जवल है क्योंकि यहाँ कोई रूढ़िगत बाधाएँ नहीं हैं।"

निष्कर्ष

इतना सब लेखन देखे जाने पर भी कहा जाना चाहिए कि ये सब संख्या व क्षेत्र दोनों रूप में पर्याप्त नहीं है। रवीन्द्र प्रभात के अनुसार नारी सशक्तिकरण से संबंधित ब्लाग का औसत केवल 1 प्रतिशत के आसपास है । अगर क्षेत्र की दृष्टि से बात की जाए तो अभी हिंदी ब्लागिंग केवल शहरी पढ़ी-लिखी और नौकरी पेशा मध्यमवर्गीय महिलाओं तक ही सीमित है। उनके सामने दलित, आदिवासी आदि अन्य हाशिये के समाजों की महिलाओं की समस्याएँ कोई मायने नहीं रखती हैं। अब तक भी इन समाजों से आने वाली महिलाओं व उनकी समस्याओं की उपस्थिति हिंदी ब्लाग पर नगण्य है। जब तक इन हाशिये के समाजों की महिलाओं की उपस्थिति और उनकी समस्याओं - पीड़ाओं, दुख-दर्दों, भावनाओं आकांक्षाओं को हिंदी ब्लाग जगत में जगह नहीं मिलेगी तब तक ब्लागिंग के माध्यम से नारी आंदोलन को सफल बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा।

अतः महिला ब्लागरों को जो नारी विमर्श से जुड़ी हुई हैं इन हाशिए के समाजों पर अपनी कलम बराबर चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 तेज सिंह, अम्बेडकरवादी स्त्री चिन्तन, सामाजिक शोषण के खिलाफ आत्मवृतान्तामक संघर्ष, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण २०११.

2 आकांक्षा यादव, हिन्दी ब्लॉगिंग को समृद्ध करती महिलाएँ (लेख), 'शब्द-शिखर'(ब्लॉग), शनिवार, 13-10-2012

3 रचना, 'नारी'(ब्लॉग).

4 रेखा श्रीवास्तव, 'एकलजीवन: समाज के लिये कितना सार्थक'(लेख), 'नारी' (ब्लॉग), 14-10-2010

5 अनुजा, क्यों न स्त्री शिक्षा को हम मिशन बना लें (लेख), 'नारी'(ब्लॉग).

6 वही.

7 आकांक्षा यादव, हिन्दी ब्लॉगिंग को समृद्ध करती महिलाएँ (लेख), 'शब्द-शिखर'(ब्लॉग), 13-10-2012

8 बेटियों की विदाई, लिजलिजी भावुकता(लेख), 'घूघती बासूती'(ब्लॉग), 15-5-2012

9 गोविन्दसामी, बलात्कार, बलात्कारी की सजा, सामाजिक, सौम्या, स्त्री विमर्श(लेख), घूघती बासूती (ब्लॉग), 10-11-2011

10 वही.

11 स्त्री और कपडे(लेख), घूघती बासूती(ब्लॉग), 7-5-2010

12 चूडी, बिन्दी, सिन्दूर, पितृसत्ता, पुरुष विमर्श(लेख), घूघती बासूती(ब्लॉग), 5-1-2010

13 स्त्री, स्त्री उत्पीडन, स्त्री व हमारा समाज, स्वात घाटी(लेख), 4-4-2009

14 नीलिमा सुखिजा अरोडा, क्या मीडिया में महिलाएँ होना गुनाह है(लेख), 21-9-2012

15 सुजाता, हिन्दी ब्लॉगिंग में स्त्रियाँ और स्त्रियों की ब्लॉगिंग(लेख).

16 वही.

17 आकांक्षा यादव, हिन्दी ब्लॉगिंग को समृद्ध करती महिलायें (लेख), शब्द-शिखर(ब्लॉग).